राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1102/2019

सुनील मील –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर।
3. पुलिस अधीक्षक, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.05.2019
आदेश की दिनांक : 16.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुणाल रावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया हैः–

"(i) It is, therefore, humbly prayed that in the peculiar facts and circumstances of the case the present Appellant of the appellant may kindly be accepted further;

(ii) By an appropriate writ order or direction the board proceedings dated 15.02.2019 may kindly be quashed and set aside.

(iii) By an appropriate writ or order the respondents be directed to prepare fresh select list of Head Constables for the year 2013-14.

(iv) By an appropriate order or direction the respondents be directed to reconsider the name of the appellant for promotion as Head Constables against the revised vacancies."

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गठित तीन सदस्य समीक्षा बोर्ड द्वारा समीक्षा कार्यवाही आयोजित की गई थी, जिसके तहत बोर्ड के सदस्यों द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए पदोन्नति से भरी जाने वाली हेड कांस्टेबल की रिक्तियों की पुनर्गणना की गई। समीक्षा से पहले, रिक्तियां 120 थीं, जिनमें से 120 उम्मीदवारों का चयन किया गया था और समीक्षा के बाद, बोर्ड ने 40 और हेड कांस्टेबल रिक्तियां जोड़ीं, इसलिए वर्ष 2013–14 के लिए कुल रिक्तियां 160 थीं। परिणामस्वरूप, समीक्षा बोर्ड की कार्यवाही के साथ बोर्ड के सदस्यों द्वारा वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरुद्ध हेड कांस्टेबल के पद के लिए चयनित 158 उम्मीदवारों की एक नई सूची भी

जारी की गई। अपीलार्थी उक्त समीक्षा बोर्ड की कार्यवाही से व्यथित है क्योंकि उसका नाम चयन सूची में नहीं आया है (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 3 की देखरेख और नियंत्रण में एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत है। एक कांस्टेबल होने के नाते, उसने वर्ष 2013 के तहत हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए उपरोक्त अधिसूचित रिक्तियों के लिए आवेदन किया था। अपीलार्थी लिखित पेपर और उसके बाद आउटडोर परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसे इन परीक्षाओं में सफल घोषित किया गया और वह साक्षात्कार में उपस्थित हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश अंतिम चयन सूची में उन्हें असफल घोषित कर दिया गया। अपीलार्थी ने एक आरटीआई आवेदन दायर किया उसके स्कोर और उसमें प्राप्त अंकों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। बाद में प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के रिकॉर्ड से संबंधित सभी प्रतियां दी गईं, जिससे उसे पता चला कि उसने लिखित परीक्षा और आउटडोर परीक्षा में कुल 109.5 अंक प्राप्त किए तथा केवल 29 अंक रिकॉर्ड विश्लेषण और साक्षात्कार में प्राप्त किए। कुल मिलाकर उन्होंने 138.5 अंक प्राप्त किये। फिर उसने दस्तावेजों की और जाँच की ताकि पता चल सके कि उन्होंने 29 अंक कैसे प्राप्त किए और उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें खेल श्रेणी और प्रशिक्षण श्रेणी में 0 अंक और वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में 8 अंक दिए गए हैं। उनके प्राप्त अंकों के संबंध में आरटीआई रिकॉर्ड अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी बास्केट बॉल खिलाड़ी है और उसके पास राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट, राज्य बास्केटबॉल टूर्नामेंट, अंतर रेंज और रेंज टूर्नामेंट में भाग लेने के संबंध में कई प्रमाण पत्र हैं। इसके अलावा, उन्होंने बी.एड. डिग्री जो उन्होंने 2008 में उत्तीर्ण की थी। ये सभी रिकॉर्ड अपीलार्थी द्वारा पुलिस विभाग में कार्यग्रहण के समय व्यक्तिगत रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत किए गए थे। फिर भी, उनकी उपलब्धियों को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया और उन्हें एक भी अंक नहीं दिया गया और उनके 5 अंक कम रह गए और इसलिए, हेड कांस्टेबल की पदोन्नति के लिए उनका चयन नहीं हो सका, जबकि एक समान स्थिति वाले व्यक्ति, एक सर्वेश्वर सिंह (क्रमांक 111) एक राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी थे, 5 अंक दिए गए। अतः अपीलार्थी भी चयन के योग्य था। वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर) में केवल 8 अंक प्राप्त किए हैं। इस संबंध में प्रस्तुत किया गया है कि वह दिसंबर 2008 से मार्च 2015 तक विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर थे और इस अवधि के दौरान, वह नैरोबी और सिंगापुर में पदस्थापित था। वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान, वह सिंगापुर में था और उच्चायोग के प्रमुख ने प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की थी और यह विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह अपीलार्थी के रिकॉर्ड को समय पर मंगाए, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने इसको नहीं मंगवाया। प्रत्यर्थी विभाग साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उम्मीदवारों को एपीआर सहित अपने सेवा रिकॉर्ड की जांच करने का पूरा मौका देता है, लेकिन

अपीलार्थी के प्रकरण में उनके सेवा रिकॉर्ड सिंगापुर में थे, इसलिए सेवा रिकॉर्ड नई दिल्ली तक नहीं पहुंच सका। अपीलार्थी का सेवा रिकॉर्ड इंटरव्यू की तारीख से एक दिन पहले ही अजमेर पहुंचा, इसलिए उसे अपने रिकॉर्ड जांचने का मौका नहीं मिला है। यहां यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि एपीआर रिकॉर्ड दिल्ली कार्यालय द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को उपलब्ध नहीं कराए गए थे, और प्रत्यर्थी विभाग ने दिल्ली कार्यालय से रिकॉर्ड की मांग भी नहीं की थी। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को 8 अंक उसके वर्ष 2009–2010, 2010–2011 और 2011–2012 के वार्षिक प्रदर्शन रिकॉर्ड के आधार पर दिए गए थे और उस समय वह नैरोबी में था और वार्षिक प्रदर्शन फॉर्म विदेश मंत्रालय में प्रत्यर्थी विभाग के वार्षिक प्रदर्शन फॉर्म से बहुत अलग है। विदेश मंत्रालय के वार्षिक प्रदर्शन फॉर्म में, ऐसा कोई कॉलम नहीं है, जहां वार्षिक प्रदर्शन फॉर्म में उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा और संतोषजनक जैसी श्रेणियों पर अंकन कर सके। अतः सामान्य रूप से कोई भी टिप्पणी अच्छा या बहुत अच्छा या उत्कृष्ट जैसी लिख सकता है, इसलिए प्रत्यर्थी विभाग के लिए इन टिप्पणियों के आधार पर अंक देना संभव नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों के साथ दिनांक 03.05.2019 को एक अभ्यावेदन दिया गया था (अनुलग्नक–3), लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर बोर्ड की कार्यवाही दिनांक 15.02.2019 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावे कि वर्ष 2013–14 की रिक्तियो के विरूद्ध हेड कांस्टेबल के पद पर नये सिरे से चयन सूची तैयार की जावे एवं संशोधित रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने वर्ष 2013–14 में कानि. से हैड कानि. की लिखित परीक्षा/परेड एवं आउटडोर के कुल अंक 200 में से 109.5 अंक प्राप्त किये है एवं रिकार्ड एवं साक्षात्कार के कुल अंक 75 में से 29 अंक प्राप्त किये है। रिकार्ड एवं साक्षात्कार में 75 अंक में से अपीलार्थी उत्तीर्ण होने के लिए 45 प्रतिशत अंक अर्थात 37.75 अंक प्राप्त करना आवश्यक था जबकि अपीलार्थी ने रिकार्ड एवं साक्षात्कार में सिर्फ 29 अंक ही प्राप्त किये इसलिये वह परीक्षा पास करने में असफल रहा है और चयन सूची में उसका नाम नहीं आ सका। खेल सम्बन्धी प्रमाण पत्र का सेवा पुस्तिका में कोई इन्द्राज नहीं है एवं वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवदेन में वर्ष 2008 से वर्ष 2012–13 कुल 8 अंक दिये गये हैं, जो नियमानुसार दिये गये हैं। अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता बीए पास अंकित है जिसपर नियमानुसार शिक्षा के 5 अंक अपीलार्थी को प्रदान किये गये। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी अपीलार्थी राष्ट्रीय स्तर का बास्केट बाल का खिलाड़ी रहा है। अतः

खेलकूद में 5 अंक देने चाहिए एवं वार्षिक कार्य मूल्यांकन में 12 अंक होने चाहिए। प्रशिक्षण में भी शून्य अंक देना गलत है। क्योंकि अपीलार्थी वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक विदेश मंत्रालय में नियुक्ति पर होने से उसका प्रशिक्षण संभव नहीं था। अपीलार्थी के बीएड के अंक भी जोड़ने चाहिए। इस प्रकार अपीलार्थी के 38 होने से वह उत्तीर्ण होता है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी का वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हेड कांस्टेबल के पद पर चयन नहीं होने से व्यथित होकर दायर की गई है। यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी ने वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हेड कांस्टेबल के पद पर चयन/पदोन्नति हेतु आयोजित परीक्षा में भाग लिया। अपीलार्थी ने परीक्षा के प्रथम चरण लिखित एवं आउटडोर नं. 109.5 अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण घोषित किया गया परन्तु परीक्षा के द्वितीय चरण (रिकार्ड विशलेषण एवं साक्षात्कार) में निर्धारित 33.75 अंक से कम 29 अंक प्राप्त होने से असफल रहा एवं हेड कांस्टेबल हेतु चयन नहीं हो पाया।

अपीलार्थी ने इस परीक्षा के द्वितीय चरण (रिकार्ड विशलेषण एवं साक्षात्कार) में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, खेलकूद, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण मद में सही अंक नहीं देने के आधार पर अपील पेश की है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलार्थी को परीक्षा के द्वितीय चरण में मदवार निम्नानुसार अंक दिए गये हैः–

क्र.सं.	विवरण	अंक
1.	शैक्षणिक योग्यता	5
2.	वार्षिक कार्य मूल्यांकन	8
3.	पुरस्कार एवं सजा	6
4.	प्रशिक्षण	0
5.	खेलकूद	0
6.	साक्षात्कार	10
	योग	29

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी बीए बीएड योग्यताधारी है जबकि मात्र बीए के 5 अंक जोड़े गये एवं बीएड के अंक नहीं जोड़े गये है। प्रत्यर्थी विभाग के अनुसार अपीलार्थी के सेवाभिलेख में शैक्षणिक योग्यता बीए वर्ष होने से नियमानुसार 5 अंक दिए गये है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बीएड की अंकतालिका अनुसार उसने वर्ष 2008 में नियमित विद्यार्थी के रूप में बीएड की है जबकि इस समय अपीलार्थी राजकीय सेवा में था एवं विभागीय अनुमति संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः शैक्षणिक योग्यता में दिए गये 5 अंक सही माने जाते है।

अपीलार्थी ने प्रशिक्षण संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। साथ ही खेलकूद में स्टेट पुलिस गैम्स में रेंज से नामित एवं इंडिया पुलिस गैम्स में राज्य से नामित होने पर अंक दिए जाने की व्यवस्था है। इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं है। अतः इन दोनों मदों में शून्य अंक देना सही है।

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अपीलार्थी को 8 अंक दिए गये है। रिजोइन्डर के साथ प्रस्तुत वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2009–V.good, 2010–V.good, 2011–V.good एवं 2012– V.good है एवं 2008 की APAR अपठनीय है। अगर मानने के तौर पर 2008 की APAR भी यदि V.good मान ली जावे तो इस मद में मानने के तौर पर 10 अंक होते है तो परीक्षा के द्वितीय चरण में 29 अंक के स्थान पर 31 हो जायेगे। इस स्थिति में भी अपीलार्थी परीक्षा के द्वितीय चरण हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक 33.75 प्राप्त नहीं कर पाने से अनुत्तीर्ण रहता है एवं वह हेड कांस्टेबल के पद पर चयन हेतु पात्र नहीं होता है।

अतः उक्त विवेचन के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)